केंद्र-राज्य विवाद और अनुच्छेद 131

लेखक - अपूर्वा विश्वनाथ (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

16 जनवरी, 2020

"इस आलेख में हम जानेंगे कि अनुच्छेद 131 क्या है, जिसके तहत केरल ने CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है? साथ ही यह भी जानेंगे कि यह चुनौती कानून के खिलाफ दायर अन्य याचिकाओं से कैसे अलग है? और भारतीय संघीय ढाँचे के कौन से पहलू को यह मामला दर्शाता है?"

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को चुनौती देने वाला केरल पहला राज्य बन गया। हालाँकि, राज्य द्वारा अपनाया गया कानूनी रास्ता अदालत के समक्ष पहले से लंबित 60 याचिकाओं से अलग है। केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालत का रुख किया है, जो सुप्रीम कोर्ट को राज्य बनाम राज्य या फिर राज्य बनाम केंद्र के बीच किसी भी विवाद से निपटने के लिए अधिकार प्रदान करता है।

बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अनुच्छेद 131 के तहत् सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम को चुनौती दी गई है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करता है।

अनुच्छेद 131

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसके बाद से अनुच्छेद 131 सुर्खियों में बना हुआ है।
- यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दायर किया गया है। विदित हो कि केरल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य बन गया है।
- नागरिकता (संशोधन) बिल में छह गैर-मुस्लिम समुदायों- हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक शामिल हैं।
- इस विधेयक के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

अनुच्छेद 131 क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं: मूल, अपीलीय और सलाहकारी।

अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत्, संविधान के अनुच्छेद-143 के अतंर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है।

अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत, सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों की अपील सुनता है।

अपने असाधारण मूल अधिकार क्षेत्र में, सर्वोच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से जुड़े विवादों को सुलझाने की विशेष शक्ति राज्य और केंद्र विवाद एवं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल होते हैं।

कोई भी विवाद अनुच्छेद 131 के तहत् अर्हता तब प्राप्त करता है, जब वह विवाद आवश्यक रूप से राज्यों और केंद्र के ही बीच हो और साथ ही इसमें कानून या इससे संबंधित तथ्य का प्रश्न शामिल होना चाहिए, जिस पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। 1978 के फैसले में, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा था कि अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक मुकदमे को स्वीकार करने के लिए, राज्य को यह दिखाने

की आवश्यक नहीं है कि उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं, लेकिन विवाद में वैधानिक सवाल होना आवशयक है।

यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 131 का उपयोग विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

तो अनुच्छेद 131 के तहत् सीएए को चुनौती देने वाली याचिका अन्य याचिकाओं से कैसे अलग है?

सीएए को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाएँ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् दायर की गई हैं, जो अदालत को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने की शक्ति देती है। राज्य सरकार इस प्रावधान के तहत् अदालत का रुख नहीं कर सकती क्योंकि केवल लोग और नागरिक ही मौलिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 131 के तहत्, चुनौती तब की जाती है जब किसी राज्य या केंद्र के अधिकार और शक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा हो।

हालाँकि, राहत की बात यह है कि राज्य (अनुच्छेद-131 के तहत्) और याचिकाकर्ता (अनुच्छेद-32 के तहत्) ने सीएए को चुनौती देते हुए एक ही तरह की माँग की है अर्थात इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत् कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है?

बिहार और झारखंड के बीच 2012 का विवाद जो वर्तमान में न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है, इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकता है। यह मामला झारखंड के कर्मचारियों को अविभाजित बिहार राज्य में उनके रोजगार की अवधि के लिए पेंशन का भुगतान करने के बिहार के दायित्व के मुद्दे से संबंधित है।

अनुच्छेद 131 क्या है?

- संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो राज्य बनाम राज्य या फिर राज्य बनाम केंद्र के मामलों की सुनवाई करे तथा उस पर फैसला दे। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत राज्य और केंद्र में यदि किसी बात को लेकर विवाद हो तो उस स्थिति में राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।
- अनुच्छेद 131 के इस्तेमाल का पहला मामला साल 1963 में सामने आया था। इसमें बंगाल की सरकार ने केंद्र के बनाए एक कानून का विरोध किया था।
- पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोयला पाए जाने वाले इलाकों के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के कोल बियरिंग एरियाज अधिनियम, 1957 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हालाँकि पहले के फैसले में कहा गया था कि अनुच्छेद 131 के तहत् कानून की संवैधानिकता की जाँच की जा सकती है, लेकिन 2011 में मध्य प्रदेश बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय इससे अलग था।

चूँकि 2011 का मामला दो-न्यायाधीश बेंच द्वारा भी था, इसलिए अदालत इस मामले को रद्द नहीं कर पाई। हालाँकि, जज फैसले से सहमत नहीं थे।

"हम मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ और एएनआर मामले में दर्ज निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं, जो अनुच्छेद 131 के तहत् एक मूल मुकदमे में, एक अधिनियम की संवैधानिकता की जाँच नहीं की जा सकती है। चूँकि उपरोक्त निर्णय दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसलिए न्यायिक अनुशासन की माँग है कि हमें न केवल इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा उक्त प्रश्न की जाँच के लिए केवल मामले का उल्लेख करना चाहिए, बल्कि मोटे तौर पर उन कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए जिसपर हम असहमत हैं, "अदालत ने 2015 में एक बड़ी बेंच को मामले का हवाला देते हुए फैसला सुनाया था।

संयोग से, दो न्यायाधीश जिन्होंने 2015 का संदर्भ दिया था, वे थे जस्टिस जे. चेलमेश्वर (retd) और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे थे। जस्टिस एन.वी रमना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की तीन-जजों वाली बेंच द्वारा इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते में होनी तय है।

बिहार बनाम झारखंड मामले में एक बड़ी बेंच के फैसले से केरल द्वारा सीएए को दी गई चुनौती पर असर पड़ेगा।

क्या केंद्र भी अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पर मुकदमा कर सकता है?

केंद्र के पास यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य शक्तियाँ हैं कि उसके कानूनों को लागू किया जाए। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र एक राज्य को निर्देश जारी कर सकता है। यदि राज्य निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो केंद्र अदालत को कानून के अनुपालन के लिए बाध्य करने के लिए राज्यों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा की माँग कर सकता है। अदालत के आदेशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना मानी जाएगी और अदालत आमतौर पर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्यों के मुख्य सचिवों को दोषी मानती है।

क्या राज्यों द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती देना असामान्य है?

संविधान के तहत्, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को तब तक संवैधानिक माना जाता है जब तक कि अदालत उसे असंवैधानिक नहीं मानती। हालाँकि, भारत के अर्ध-संघीय संवैधानिक ढाँचे में, अंतर-सरकारी विवाद असामान्य नहीं है।

संविधान के निर्माताओं ने ऐसे मतभेदों की अपेक्षा की थी और उसके समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र को जोड़ा था। 1950 में परिकल्पित अर्ध-संघीय संरचना ने राज्यों की परिभाषित शक्तियों को समेकित किया है।

संसद में स्पष्ट बहुमत वाले शक्तिशाली केंद्र से भारत की संघीय संरचना में अक्सर खराबी सामने आती रहती है। 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से 15वें वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भाषाई विभाजन, भूमि अधिग्रहण और प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के शासन वाले राज्यों और मजबूत केंद्र के बीच विवाद उभरता रहा है।

केरल सरकार ने क्या कहा?

- सरकार ने कोर्ट से नागरिकता कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की माँग की है।
- केरल सरकार ने कहा है कि नया कानून संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसमें समानता का अधिकार शामिल है। सरकार ने कहा कि यह कानून संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है।
- केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।
- केरल सरकार ने कहा कि अगर यह नया कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक तौर पर उत्पीड़न झेल रहे लोगों हेतु है तो फिर इन देशों के शिया और अहमदिया को क्यों अलग रखा गया है।
- केरल सरकार ने अपनी याचिका में श्रीलंका के तमिल, नेपाल के मधेसी और अफगानिस्तान के हजारा समूह का भी जिक्र किया है।

अनुच्छेद 131 के दायरे में किस तरह के विवाद आते हैं?

- अनुच्छेद 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मसलों पर फैसला दे सकती है, जहाँ केंद्र तथा राज्यों के अधिकारक्षेत्र का मसला सामने आता है। सरकारों के बीच आपसी झगड़े तथा छोटे-मोटे विवाद का इस अनुच्छेद से कोई लेना-देना नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध पहले से ही 60 याचिकाएँ दायर हैं और इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होनी है। यह संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पश्चिम बंगाल नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है।
2. अनुच्छेद-131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को राज्य बनाम राज्य या राज्य बनाम केंद्र के बीच के किसी विवाद से निपटने का अधिकार प्रदान किया गया है।
3. अनुच्छेद-143 के तहत् राष्ट्रपति को शीर्ष अदालत से राय लेने की शक्ति प्रदान की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. West Bengal has become the first state to challenge the Citizenship (Amendment) Act in the Supreme Court.
2. Under Article-131 the Supreme Court is empowered to adjudicate any dispute between State vs. State or State vs. Center.
3. Article-143 empowers the President to seek opinion from the apex court.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

नोट : 15 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः हाल ही में केरल सरकार ने अनुच्छेद-131 के तहत् CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके संदर्भ में अनुच्छेद-131 के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए, संघ राज्य विवाद निस्तारण में उच्चतम् न्यायालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

Recently, the Government of Kerala, under Article 131 has challenged CAA in the Supreme Court. In this context explaining the provisions of Article -131, elucidate the role of the Supreme Court in the adjudication of the center-state disputes. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।